

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2398

(जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

विदेशी बैंकों में काला धन

2398. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि स्विस नेशनल बैंक के आँकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 2024 में तीन गुना से अधिक बढ़कर लगभग 37,600 करोड़ रुपये हो गई है;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में जमा कुल काले धन का व्यौरा क्या है और विगत पाँच वर्षों के दौरान कितना काला धन वापस लाया गया है;
- (घ) 2014 से अब तक भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में जमा किए गए अवैध धन की पहचान, जाँच और वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या मापनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार काले धन का विदेश में बहिर्गमन रोकने के लिए मौजूदा तंत्र की विफलता को स्वीकार करती है और यदि हाँ, तो भविष्य में बहिर्वाह को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर:

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आँकड़ों पर आधारित कुछ मीडिया रिपोर्ट हैं, जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि स्विस बैंकों में भारतीयों से जुड़ी धनराशि 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है। इन मीडिया रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्विस प्राधिकारियों के अनुसार एसएनबी के आँकड़ों से संबंधित डेटा में अन्य बातों के अलावा ग्राहक जमा (किसी भी देश में स्थित स्विस बैंकों की विदेशी शाखाओं सहित) के संबंध में देय

राशि, अन्य देनदारियाँ और बैंकों को देय राशि शामिल हैं, और स्विस प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एसएनबी के वार्षिक बैंकिंग ऑकड़ों का उपयोग स्विट्जरलैंड में भारत के निवासियों द्वारा रखी गई जमा राशि के विश्लेषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड वर्ष 2018 से सूचना के स्वतः आदान-प्रदान (ईओआई) करने की व्यवस्था के तहत भारतीय निवासियों के बारे में वार्षिक वित्तीय सूचना प्रदान करता रहा है। भारतीय प्राधिकारियों को पहली बार डेटा सितंबर 2019 में भेजा गया था और तब से यह आदान-प्रदान जारी है। इसके अलावा भारत को 100 से ज्यादा विदेशी कर क्षेत्राधिकारों से विदेशी संपत्तियों और आय के बारे में सूचना मिलती है। जब भी कर अपवंचन का कोई मामला सामने आता है तो प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत उचित कार्रवाई की जाती है जिसमें तलाशी, जांच, पूछताछ, आय का आकलन, कर लगाना, जुर्माना आदि शामिल हैं और जहाँ भी लागू हो, आपराधिक अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज करना शामिल है।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 (आईटीए) या काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (बीएमए) में 'काला धन' जैसे किसी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 जुलाई, 2015 को बीएमए लागू होने के बाद से दिनांक 1 जुलाई, 2015 से 30 सितंबर, 2015 तक बीएमए के तहत एक बार की तीन महीने की अनुपालन अवधि के दौरान 4164 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित विदेशी परिसंपत्तियों से संबंधित 684 खुलासे किए गए। ऐसे मामलों में कर और जुर्माने के रूप में लगभग 2476 करोड़ रुपये की राशि जमा हुई थी। इसके अलावा दिनांक 31.03.2025 तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (बीएमए) के अंतर्गत 1021 निर्धारण पूरे किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 35,105 करोड़ रुपये से अधिक का कर और जुर्माना आरोपित किया गया है और कुल 163 अभियोजन शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। कर की मांग तब निर्णयिक रूप से स्पष्ट हो जाती है जब आयकर आयुक्त (अपील्स), आयकर अपीलीय अधिकरण, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष की गई अपीलें, यदि कोई हों, का निर्णय हो जाता है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.07.2015 से 31.03.2025 तक काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत कर/जुर्माना/ब्याज की मांग के एवज में लगभग 338 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

(घ) भारतीय नागरिकों द्वारा रखे गए अवैध विदेशी जमा की पहचान, जांच और प्रत्यावर्तन के लिए 2014 से उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:

(i) विदेशों में अघोषित धन जमा करने से संबंधित मामलों में विभिन्न एजेंसियों के बीच नीति और जांच में समन्वय स्थापित करने के लिए मई 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया।

- (ii) काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015, विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे से विशेष रूप से तथा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है, को दिनांक 01.07.2015 से लागू किया गया है।
- (iii) विदेशी परिसंपत्ति मामलों में त्वरित जाँच सहित प्रभावी प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। इन कार्रवाइयों में तलाशी, जाँच, पूछताछ, आय का आकलन, कर, दंड आदि लगाना और जहाँ भी लागू हो, आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन दायर करना शामिल है।
- (iv) विदेशों में जमा काले धन के संबंध में जब भी कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वह एचएसबीसी मामले हों, आईसीआईजे मामले हों, पैराडाइज पेपर्स हों या पनामा पेपर्स सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। इन कदमों में संबंधित मामलों में बहु-एजेंसी समूह का गठन, विदेशी क्षेत्राधिकारों से निश्चित जानकारी मंगवाना, काले धन को संबंधित कानून के तहत कर के दायरे में लाना, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाना आदि शामिल हैं।
- (v) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अनुसूचित आर्थिक अपराधों से जुड़े अपराधिक की आय और भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती का प्रावधान करने और उन्हें भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- (vi) भारत सरकार सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रही है, तथा उसने अन्य देशों के साथ कर संधियां की हैं, जिनमें दोहरा कराधान परिहार समझौते, कर सूचना आदान-प्रदान समझौते, कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय कन्वैशन तथा सार्क बहुपक्षीय समझौता शामिल हैं, जो करों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं।
- (vii) भारत भी सामान्य रिपोर्टिंग मानक के आधार पर सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (AEOI) में शामिल हो गया है और उन अन्य देशों में भारतीय निवासियों की वित्तीय लेखा संबंधी सूचना प्राप्त करता है जिनके साथ AEOI संबंध सक्रिय है। भारत ने वित्तीय लेखा सूचना को स्वचालित आधार पर साझा करने के लिए 2015 में अमेरिका के साथ एक अंतर-सरकारी समझौता (IGA) भी किया है।
- (viii) आयकर विभाग द्वारा नवंबर 2024 में करदाताओं के विदेशी आय और संपत्ति की घोषणा के स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार लाने के लिए NUDGE (नॉन इनट्रूसिव यूज़ेज ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल टेक्सपेयर) करदाता अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत उन चयनित निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए थे, जिनके संबंध में स्वचालित सूचना के आदान-प्रदान के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पास विदेशी परिसंपत्ति है और/या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वे अपने आयकर रिटर्न में विदेशी परिसंपत्ति और विदेशी स्रोतों से आय को सटीक ढंग से रिपोर्ट कर सकें। कुल 24,678 करदाताओं ने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित आईटीआर में अपनी विदेशी परिसंपत्ति और आय की सूचना

दी, जबकि 5,483 करदाताओं ने विलंबित रिटर्न दाखिल करते हुए ₹29,208 करोड़ की विदेशी परिसंपत्ति और ₹1,089.88 करोड़ की विदेशी आय रिपोर्ट की।

(ड) मौजूदा तंत्र काले धन के प्रसार को रोकने में सफल रहे हैं और इन्होंने कर उद्देश्यों के लिए बैंक गोपनीयता को कम करने तथा कर पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मिलित वैश्विक प्रयास को बढ़ावा दिया है। इन उपायों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण और औपचारिकीकरण भी हुआ है, जिससे काले धन के प्रसार के अवसरों में और कमी आई है।
